ISSN-2582-144X

पारंपरिक एवं जैविक कृषि हेतु लाभकारी योजनायें

पवन जीत, प्रेम कुमार सुन्दरम् एवं राकेश कुमार

"भारत में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार परमपरागत कृषि विकास योजना की समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। भारत सरकार जैविक एवं पारंपरिक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं जैसे की परम्परागत कृषि विकास योजना, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, जैविक कृषि इत्यादि कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण युवाओं, किसानों, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देना ही इन योजनओं का मुख्य उद्देश्य हैद्य आगामी वर्षों के दौरान जैविक एवं पारंपरिक कृषि के अंतर्गत लगभग 28 लाख हेक्टेयर खेत को प्रमाणिक करने का लक्ष्य है। इस लेख में जैविक एवं पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाएं, उनके अंतर्गत दिए जाने वाले वित्तीय सहायता, लाभार्थी किसानों का चयन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया गया है।"

भारत सरकार द्वारा परम्परागत एवम जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है, जिसमे कृषक भाईयो को प्रोत्साहित करने हेतु समुचित अनुदान की व्यवस्था की गई है। परिणाम–स्वरूप हमारा देश भारत यथाशीघ्र पारंपरिक एवं जैविक खेती का अग्रदूत बनने जा रहा है। यह बड़े ही गौरव की बात है कि विश्व के दो तिहाई से ज्यादा पारंपरिक एवं जैविक खेती मे लगे हुए कृषक भारतीय है। परम्परागत कृषि विकास योजना, जैविक कृषि एवम सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी योजनाएं पारंपरिक एवं जैविक कृषि को गति प्रदान कर रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि आगामी वर्षों के दौरान परम्परागत एवम जैविक कृषि के अंतर्गत लगभग 28 लाख हेक्टेयर तक प्रमाणित क्षेत्र किया जा सके। सामान्य अभिरूचि एवम जानकारी हेतु महत्त्वपूर्ण योजनाओ का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना

1. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी के वी वाई)
2. जैविक कृषि
3. उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम ओ वी सी डी एन ई आर)
4. बारानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5. कृषि वानिकी उपमिशन
6. सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम (एस एच सी)
7. समेकित मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, उत्कृष्टता केंद्रों (आई बी डी सी/सी ओ ई एस) की स्थापना /स्वीकृति
8. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)–सूक्ष्म सिचाई
9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई)
10. पौध किस्मों के संरक्षण एवं किसानों के अधिकार (पी पी वी एफ आर)
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)
12. धान के परती क्षेत्रों में फसल सघनीकरण
13. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई)
14. राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना
15. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)
16. नेफेड एवं उसकी उपलब्धियां
17. कम ब्याज पर कर्ज
18. कृषि में कौशल विकास
19. युवाओं को कृषि की ओर आकृष्ट करना और उन्हें उसमें बनाए रखना (आर्या)
20. मेरा गाँव मेरा गौरव
21. वर्ष 2022 तक कृषि आय को दुगुना करने के लिए समिति

चित्र 1: परम्परागत कृषि विकास योजना

22. जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र
23. बागवानी के विकास के लिए मिशन (एम आई डी एच)
24. आई सी ए आर – जैविक खेती पर नेटवर्क परियोजना

1. परम्परागत कृषि विकास योजना

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी के वी वाई) की शुरुआत 2015–16 में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत हुईद्य इस परियोजना के अंतर्गत किसान समूहों का गठन, किसानों का एकत्रीकरण, भूमि को जैव कृषि में परिवर्तन करने, वर्मीकंपोस्ट इकाई की स्थापना और मूल्य संवर्धन जैसे जैव उत्पादों पर लेबल अथवा ब्रांड निशान लगाने के लिए सहायता प्रदान करना है। साथ ही साथ जैविक उत्पादों के संग्रहण एवं बाजार तक परिवहन के लिए प्रत्येक समूह को रू० 1,20,000 वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह भी सुनिश्चित करना है की समूह के प्रत्येक किसान को 3 वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 रू० प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना का लक्ष्य यह निर्धारित किया गया है कि 20 हैक्टेयर के 10,000 जैविक क्लस्टरों को विकसित किया जायेगा ताकि 3 वर्षों के दौरान 2 लाख हेक्टेयर तक प्रमाणित क्षेत्र को आच्छादित किया जा सके जिससे लगभग 5 लाख किसानों को लाभ मिल सके। अभी तक 9,186 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। इस योजना के विस्तार के लिए वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में कुल लगभग 586 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया था। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस योजना से खेती की लागत में 10–20 प्रतिशत की कमी और जैविक किसानों को शुद्ध रिटर्न में 20–50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2. जैविक कृषि

भारत सरकार द्वारा परम्परागत संसाधनों, अनुकूल पर्यावरण हितैषी, कम लागत वाले प्रौद्योगिकि के साथ साथ लाभकारी जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। वर्ष 2011–14 के अनुपात में वर्ष 2014–17 के दौरान जैविक खेती के क्षेत्रफल में 176 प्रतिशत वृद्धि हुई। 350 किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) के जरिये 2.5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, सरकार दक्ष विपणन एवं जैविक खेती की क्षमता का उपयोग करने के लिए समूह आकार को 20 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत 500 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर) तक बढ़ाएगी।

3. उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

केन्द्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक 3 वर्षों के लिए रुपये 400 करोड़ के परिव्यय के साथ 11 जनवरी, 2016 को सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू की गई थी। जबकि वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए कुल लगभग 283 करोड़ रुपए की राशि आवटित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी एवम जनजातीय क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देना है क्योंकि इन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों एवम कीटनाशकों का उपयोग बहुत कम है। यह योजना असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा के उत्तर–पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय संस्था के माध्यम से लागू की गई है। इसके अंतर्गत आगामी वर्षों में 0.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के लिए शामिल किया जाना है। इस योजना के प्रगति को देखते हुए अब तक 2429 किसान समुह व 8 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जा चुका है।

4. बारानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण

राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण (एन आर ए ए) को अन्य अधिदेशों के अतिरिक्त, बारानी कृषि के लिए ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए पुनर्जीवित किया गया है। 150 सर्वाधिक संवेदनशील सूखाग्रस्त जिलों के लिए कार्य योजनाओं को अक्टूबर 2017 तक तैयार किया जाएगा एवं उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।

5. कृषि वानिकी उपमिशन

किसानों की आय को बढ़ाने और जलवायु अनुकूलता के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान ''हर मेड़ पर पेड़'' के लक्ष्य के साथ एक समर्पित योजना ''राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना'' की शुरुआत की गई। विपणन वर्ष 2016–17 में 50 करोड़ रूपए के केन्द्रीय हिस्से का बजट आवंटित हुआ। कृषि वानिकी उपमशिन (एस.एम.ए.एफ.) के तहत सहायता के लिए ट्रान्सिट विनिमयन की छूट। 13 राज्यों (2016–17 में 8 एवं 2017–18 में 5) ने इस विनियमन में छूट प्रदान की है। अन्य राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गयी है।

6. सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम (एसएचसी)

मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों को पोषक तत्वो की संतुलित प्रबंधन हेतु, खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फरवरी, 2015 में शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी भूधारी किसानों को हर दो वर्ष में सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किये जाएंगे। जिससे मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता को बनाए रखने मे सहायता मिलेगीद्य पहला चरण (2015–17) के दौरान, 10.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड और दूसरा चरण (2017–19) के दौरान, 11.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2015 के बाद से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। इस योजना के अंतर्गत 2014–15 से अब तक 429 नए स्टैटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल), 102 नए मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, 8752 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और 1562 ग्राम स्तर के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को मंजूरी दी गई है।

7. समेकित मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, उत्कृष्टता केंद्रों (आई बी डी सी / सी ओ ई एस) की स्थापना / स्वीकृति

समन्वित मधुमक्खी विकास केंद्र 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान एनबीबी द्वारा 10 आईडीबी हरियाणा (बागवानी विभाग, कुरूक्षेत्र), नई दिल्ली (आई ए आर आई, पूसा), बिहार (के वी के, पिपराकोठी), पंजाब (पी ए यू,

लुधियाना), मध्य प्रदेश (केवीके, मुरैना), उत्तर प्रदेश (आई आई वी आर, वाराणसी), मणिपुर (सी एयू , इम्फाल), उत्तराखंड (के वी के, देहरादून), जम्मू एवं कश्मीर (एस के वी ए एस टी, श्रीनगर) और तमिलनाडु (टी एन एयू, कोयम्बटूर) स्थापितध्अनुमोदित किये गये। जिससे परपरागित फसलों में परागण की सुविधा प्राप्त होगी। सफल ब्रांड का मधु दूध सहकारिता के माध्यम से मधु के संग्रहण और विपणन के लिए दिल्ली में आरंभ किया गया। एनबीबी के द्वारा दूध फेडरेशन के साथ दो अन्य राज्यों (गुजरात और राजस्थान) में इस पहल को आगे विस्तारित किया गया।

8. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)–सूक्ष्म सिचाई

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश करना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना (हर खेत को पानी), पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत की जल उपयोग क्षमता में सुधार करना, सिंचाई एवं पानी की बचत तकनीकी को बढ़ावा (प्रति बूंद अधिक फसल), और सटीक सिंचाई प्रणाली में अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना है। 2015–16 से 2019–20 के दौरान 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रत्येक बूंद अधिक फसल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान सरकार द्वारा साल 2015–20 के दौरान अधिक धनराशि (लगभग 16300 करोड़ रुपये) देकर अधिक क्षेत्रफल (लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर) को सिंचित करने का निर्धारित लक्ष्य रखा है।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के. वी.वाई.)

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2014–15 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है। भारत सरकार ने 1 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए पारिश्रमिक अनुमोदन के रूप में जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। दलहनों एवं तिलहनों के लिए चावल की खाली भूमि लक्षित उप स्कीम आर.के.वी.वाई. अन्तगर्त एक विशेष स्कीम के रूप में वर्ष 2016–17 में आरंभ की गयी है। इस उप स्कीम के लिए आवंटित राशि 50 करोड़ रुपये है। मृदा अम्लता, क्षारता और लवणता की समस्या से संबंधित एक उप स्कीम समस्या ग्रस्त मृदा का सुधार आरकेवीवाई के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से शुरू की गयी है। इस उप स्कीम के लिए आवंटित राशि 50 करोड़ रुपये है। कृषि के समेकित विकास के लिए सार्वनिक–निजी भागीदारी के अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा कनार्टक ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 5 परियोजनाएं शुरू की है। सूखा प्रमाणित राज्यों में पशुओं की चारा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आरकेवीवाई के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान राज्यों के लिए 78.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत तीन साल यानी 2017–18 से 2019–20 के लिए 15,722 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया है।

10. पौध किस्मों के संरक्षण एवं किसानों के अधिकार (पी पी वी एफ आर)

भारत ने जैव विविधता को पौध किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अनुरूप ही किसानों के परंपरिक किस्मों एवं पौध प्रजनकों के अधिकारों को पंजीकरण के माध्यम से संरक्षित करने हेतु प्राधिकरण की स्थापना नवम्बकर, 2005 में नई दिल्लीी में की गई है। प्राधिकरण की भूमिका, वनस्पति आनुवंशिक संसाधनों के महत्व, इनके संग्रह और दस्तावेजीकरण, पी पी वी एफ आर ए की समीक्षा, प्रजनकों और किसानों के अधिकार, पौध किस्मों के पंजीकरण तथा विशेष रूप से व्युत्पन्न किस्मों के पंजीकरण, पंजीकरण के लाभ, समर्पण और प्रमाणपत्र के निरसत्रन और पुनरूप्रमाणन तथा पी पी वी एफ आर की प्रक्रियाओं तथा रजिस्टर में सुधार पर चर्चा करने की है।

पी पी वी एफ आर अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किस्मों और आवेदन में वर्ष 2011–14 के मुकाबले वर्ष 2014–17 में 120 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पी पी वी एफ आर अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किस्मों में वर्ष 2011–14 के मुकाबले वर्ष 2014–17 में 164 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने दिनांक 15 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना 495 (अ.सा.) के माध्यम से यह निर्णय लिया कि नगद अवार्ड की राशि केन्द्रीय सरकार ने 'प्लांट जिनोम सेवियर' के लिए नगर ईनाम की राशि को 1.00 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रू. तथा किसान के पुरस्कार की राशि को शून्य से बढ़ाकर 1.00 लाख रू. कर दी पीपीवी व एफआर अधिनियम के अन्तर्गत किसानों के वार्षिक शुल्क में कमी सरकार ने दिनांक 15 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना सा.आ. 1598 (अ.सा.) के माध्यम से किसानों के वार्षिक शुल्क को 2000 रू. से घटाकर 10 रू. कर दी। हाल ही में पौध किस्मों के संरक्षण एवं किसानों के अधिकार प्राधिकरण की तीन नई शाखा कार्यालय स्थापित करने का अनुमोदन किया गया पहला पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में जो उत्तरी पहाड़ी राज्यों को कवर करेगा, दूसरा पुणे (महाराष्ट्र) में जो मध्य और पश्चिमी राज्यों को कवर करेगा और तीसरा शिवमोगा (कर्नाटक) दक्षिणी राज्यों के लिए है।

14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)

राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) के तहत आरंभ खाद्य सुरक्षा मिशन के संकल्प को पूरा करने हेतु वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम) योजना चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दलहन को वर्ष 2010 और मोटे अनाज को 2014–15 में इस मिशन के अंतर्गत लाया गया हैद्य केन्द्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत 29 राज्यों के 638 जिलों में एन एफ एस एम दाल, 25 राज्यों के 194 जिलों में एन एफ एस एम चावल, 11 राज्यों के 126 जिलों में एनएफएसएम गेहूं और देश के 28 राज्यों के 265 जिलों में एन एफ एस एम मोटा अनाज लागू की गई है ताकि चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। एन एफ एस एम के अंतर्गत किसानों को बीजों के वितरण (एच वाई वीध्हाईब्रिड), बीजों के उत्पादन (केवल दालों के), आई एन एम और आईपीएम तकनीकों, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों/ उपकणों, प्रभावी जल प्रयोग साधन, फसल प्रणाली जो किसानों को प्रशिक्षण देने पर आधारित है, को लागू किया जा रहा है। यह मिशन 25 मिलियन टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य के साथ 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रहा। 12 वीं योजना से परे, इस मिशन को 2017–18 से 2019–20 तक 13 मिलियन टन खाद्यान्न के अतिरिक्त लक्ष्य के साथ जारी रखा गया है। इस लक्ष्य के बदौलत देश ने 2018–19 के दौरान 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न का बम्पर उत्पादन हासिल किया है।

12. धान के परती क्षेत्रों में फसल सघनीकरण

धान की परती भूमि वाले क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए रबी 2016 से आर के वी वाई के अंतर्गत ''दलहन के लिए पूर्वी भारत में चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों को लक्षित करना'' नामक विशेष स्कीम की शुरूआत की गई है। जिसका उद्देश्य धान के परती क्षेत्र आकलन तथा 6 राज्यों में रबी दलहन के लिए फसल सघनता को बढ़ाना है।

13. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई) में सभी खाद्यान्न, तिलहन और

वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं। इस योजना में फसल उपज के सभी जोखिमों–फसल बुआई के पूर्व, फसल के दौरान तथा फसल कटाई के बाद के सभी जोखिम को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ओलावृष्टि, भूस्खलन और जल भराव से हुए नुकसान के लिए प्रत्येक खेत स्तर पर क्षति का आंकलन की व्यवस्था की गई है। फसल कटाई से अधिकतम 14 दिन की अवधि में चक्रवात/चक्रवात वर्षा एवं बेमौसम बारिश के विशेष आपदा के कारण हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण संरक्षित बुआई के लिए बीमित राशि 25 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। फसल बीमा की प्रीमियम का दर एक मौसम में एक ही तय की गई है और यह खरीफ ऋतु के लिए 2.0 प्रतिशत एवं रबी के लिए 1.5 प्रतिशत है। साथ ही साथ वार्षिक बागवानी फसलों के लिए बीमा की प्रीमियम 5.0 प्रतिशत (अधिकतम) है। बीमा की जानकारी युक्त पावती रसीद सहित एक पाकेट आकार का फोलियो जो पालिसी दस्तावेज के रूप में भी काम करेगा, रबी 2016–17 से वितरित किया जा रहा है। पहली बार रबी 2016 से किसानों को पावती वितरित की जा रही है।

सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए बीमाकृत राशि को देश में सकल फसली क्षेत्र के 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो 2015–16 में पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं में 23 प्रतिशत था। इसके अलावा, खरीफ 2019 के लिए गैर–कर्जदार किसानों की बीमाकृत राशि को बढाकर 5 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कर दिया है।

14. राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना

राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना (ई–ए नए एम) की शुरुआत 14/04/2016 को की गई थी। इस योजना से राष्ट्रीय स्तर पर ई–विपणन मंच की शुरूआत हो सकेगी और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार होगा जिससे देश के 585 नियमित बाजारों में मार्च 2018 तक ई–विपणन की सुविधा हो सकेगी। अब तक 13 राज्यों के 455 बाजारों को ई–एनएएम से जोड़ा गया है। यह नवाचार विपणन प्रक्रिया बेहतर मूल्य दिलाने, पारदर्शिता लाने और प्रतिस्पर्धा कायम करने में मदद करेगी, जिससे किसानों को अपने उत्पादो के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिल सकेगा और 'एक राष्ट्र एक बाजार' की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

15. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)

14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों के 21 मंडियों में ई–नाम की पायलेट परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) योजना, देश की 585 विनयमित थोक मंडियों को एक ई–प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए 200 करोड़ के प्रारंभिक आबंटन के साथ 1 जुलाई, 2015 को अनुमोदित की गई। अब तक 13 राज्यों की 417 मंडियों को ई–नाम के साथ एकीकृत किया गया है। 16 राज्यों की 542 मंडियों को ई–नाम के साथ जोड़ने के लिए सिद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। ई–नाम पर व्यापार के लिए जांच करने में सुविधा हेतु 69 जिंसों के लिए मानक मापदंड विकसित किये गये हैं। 15 मई, 2017 तक 19,803 करोड़ रुपये के 83.57 लाख टन कृषि उत्पाद ई–नाम पर विपणित किये गये है। इसके अलावा 45,45,850 किसान, 89,934 व्यापारी और 46,411 कमीशन एजेंट ई–नाम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किए गये हैं। संबंधित पोर्टल अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलगू और बंगाली में उपलब्ध है। इसका मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

16. नेफेड एवं उसकी की उपलब्धियां

कपास, दालों और तिलहनों के 16 चिन्हित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिये नेफेड एक केंन्द्रीय नोडल एजेंसी है। वर्ष 2016–17 के दौरान नेफेड ने 877222.1 मेट्रिक टन दालों की उच्चतम खरीदारी की और विगत दो दशकों में उच्चतम रुपये 132.7 करोड़ का सर्वोच्च सकल लाभ दर्ज किया गया। 2011–14 के दौरान की तुलना में नेफेड द्वारा वर्ष 2014–17 में दालों, तिलहनों एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में काफी सुधार हुआ। वर्ष 2011–14 के बीच 270352 की तुलना में वर्ष 2014–17 के दौरान खरीद से 373071 किसान लाभान्वित हुए जोकि 172 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011–14 में रूपये 5472.37 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–17 में व्यवसाय में रूपये 6953.4 करोड़ की वृद्धि हुई जोकि 27 प्रतिशत अधिक है।

17. कम ब्याज पर कर्ज

सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्प अवधि फसल ऋण पर 3 प्रतिशत दर से ब्याज रियायत प्रदान करती है। वर्तमान में किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध है जिसे तुरन्त भुगतान करने पर 4 प्रतिशत तक कम कर दिया जाता है। ब्याज रियायत योजना 2016–17 के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज रियायत पहले वर्ष के लिए बैंकों में उपलब्ध रहेगी।

18. कृषि में कौशल विकास

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2016–17 के दौरान पहली बार आईसीएआर के विस्तार प्रभाग और भारतीय कृषि कौशल परिषद् के सहयोग से आरकेवीवाई से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान कौशल प्रशिक्षण के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा 100 केवीके और 8 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान 216 कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए रुपये 3.52 करोड़ स्वीकृत किये गये जिसमें से 206 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के लिए एएससीआई ने 168 क्वालीफिकेशन पैक (क्यूपीएस) विकसित किये।

19. युवाओं को कृषि की ओर आकृष्ट करना और उन्हें उसमें बनाए रखना (आर्या)

विभिन्न कृषि, समवर्गी एवं सेवा क्षेत्र उद्यमों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकृष्ट करना और उन्हें सशक्त बनाना इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस हेतु प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन एवं नेटवर्किंग उद्यमशीलता विकास और वेल्यू चेन प्रबंधन पर जोर रहेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 राज्यों में 25 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रति जिला 200–300 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

2.0. मेरा गाँव मेरा गौरव

पहचान किए गए 5 गांवों के साथ कार्य कर रहा 4 कृषि वैज्ञानिकों का दल किसानों को ज्ञान, कौशल और सूचना में सहायता चेतावनियां और परामर्श समय पर जारी करता है। साथ ही साथ आदानों, सेवा प्रदाताओं आदि के संबंध में सूचना प्रदान करना, गांवों का विकास करने के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आदि मेरा गाँव मेरा गौरव योजना के प्रमुख लक्ष्य है।

21. वर्ष 2022 तक कृषि आय को दुगुना करने के लिए समिति

देश में बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है, ऐसे में खेती को सुगम बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रख कर वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों हेतु केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में इस समिति का गठन किया था। समिति कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच और खेती से जुड़े पशुपालन, मुर्गीपालन और मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने पर भी गौर कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें ऑर्गेनिक खेती, फसलों का बीमा और बाजार सुधार जैसे कदम शामिल है। किसानों की

आय बढ़ाने वाली अन्य योजनाओं में मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड, नीम की कोटिंग वाली यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम (ई–एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अल्पकालिक कृषि ऋण पर 3 फीसदी ब्याज अनुदान, नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एंड ऑयल पाम और बागवानी के समन्वित विकास का मिशन जैसी योजनाये शामिल है। समिति का दायित्व किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाना है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही किसानों के लिए भी अपनाना आसान हो।

22. जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र

यह भारत सरकार के कृषि विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका मुख्यालय गाजियाबाद में है। इसका मुख्य उद्देश्य जैविक खेती, किसानों को प्रशिक्षण/जैविक खेती और इसके तकनीकों के प्रचार के लिए जैविक उत्पादकों और वर्मीकम्पोस्ट पर प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण का नियमित प्रमाण– पत्र पाठ्यक्रम आयोजित करना है।

23. बागवानी के विकास के लिए मिशन

बागवानी के विकास के लिए मिशन की स्थापना 2014–15 से 2018–19 तक 2380.49 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र ग्रीन हाउस संरचनाओं जैसे पॉलीहाउस में लाया गया है। इस योजना के तहत पॉलीहाउस के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है जो पौधों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से बचाता है साथ ही साथ उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन–डाइ ऑक्साइड आदि प्रदान करता है।

निष्कर्ष

भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। इन सभी योजनओं के अंतिम लाभार्थी हमारे कृषक भाई है। जैविक एवं पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देकर मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उसके उत्पादन क्षमता में वृध्धि की जा सकती है। ये सभी योजनाएं प्राकृतिक संसाधन आधारित टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देती हैं एवं साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी मदद करता है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, कृषि–पोषक पोषक रीसाइक्लिंग को बढ़ाता है और बाहरी आदानों पर किसानों की निर्भरता को कम करता है।

इस मिट्टी से तिलक करो

आशुतोष उपाध्याय

(१)

इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान
यह मिट्टी हम सबको देती है, पोषण हेतु भरपूर खाद्यान्न
बीज जब बोया जाता है, पाता मिट्टी व जल का साथ
फूटता है अंकुर उससे, सिर पर ले धरती माँ का हाथ
धरती माता होती है प्रफुल्लित, देकर अंकुर को जीवन दान
इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान

(२)

अंकुर, जड़, तना, डाली, पत्ते, फल और फूल
इन सबके विकास में, मिट्टी का योगदान मूल
जड़ द्वारा पौधा लेता है, जल व पोषक तत्व
पोषक तत्वों से है, स्वस्थ पौधों का अस्तित्व
यह मिट्टी हम सबकी माँ है, न कभी करना इसका अपमान
इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान

(३)

स्वस्थ रहे यह धरा हमारी, हम सबकी है जिम्मेदारी
जितने शोषित हों पोषक तत्व, उतने मिलाएं हर बारी
समय समय पर करायें जांच, कमियों का करें आभास
नमी का भी रखें ध्यान, अच्छे उत्पादन की रखें आस
इसके स्वास्थ्य का रखो ख्याल, यह पोषक तत्वों की खान
इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान

(४)

नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, हैं मूल पोषक तत्व
कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, हैं गौण पोषक तत्व
जस्ता, तांबा, बोरान, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेन, क्लोरीन, निकल
इनकी संतुलित मात्रा आवश्यक, करने को पौधों का विकास सकल
वर्मी कम्पोस्ट के सदुपयोग से, बढ़ाओ तुम मिट्टी की शान
इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान

(५)

जीव जंतु इस पर हैं पलते, सबको यह आश्रय देती है
चरने को देती हरी घास, चारा फसलों को प्रश्रय देती है
नहीं रखती किसी से बैर भाव, सबको देती ममता की छाँव
शहरों में यह दुर्लभ हो रही, अब इसको केवल भाते हैं गाँव
इस मिट्टी की यह इच्छा है, सदा पहने रहे हरित परिधान
इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान

(६)

जल और वायु से निरंतर, हो रहा है मृदा का क्षरण
हम सबका यह उत्तरदायित्व, बचाएं धरा का आवरण
कीटनाशकों का अधिक प्रयोग कर, न फैलाएं प्रदूषण
न ही लोभी लालची बनकर, करें इस मिट्टी का शोषण
यह मिट्टी पोषक है जगत की, है ईश्वर का अनुपम वरदान
इस मिट्टी से तिलक करो, इस मिट्टी पर कर लो अभिमान

प्रधान वैज्ञानिक, भूमि एवं जल प्रबंधन प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का पूर्वी अनुसन्धान परिसर, पटना